

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, उरई**

पत्रांक:- 1430 वि०वि०ख०-द्वि०/उरई

दिनांक 09.06.21

कार्यालय ज्ञाप

एतत् द्वारा कारपोरेशन आवेदनकर्ताओं द्वारा जमा योजना के अन्तर्गत (LMV-5) में भार स्वीकृत हेतु प्रस्तुत आवेदन के कम विद्युत वितरण संहति 2005 एवं अधिनियम 2003 में निहित प्राविधानों एवं नियमों के अन्तर्गत आवेदन किया है एवं आवेदन द्वारा पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत रु. 100.00 का प्रकरण शुल्क जमा कर दिया है, निम्न उपभोक्ताओं का निम्नानुसार वांछित विद्या (LMV-5) पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत भार स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	आवेदक का नाम व पता	संयोजन निर्गमन स्थल	33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र स्थल	विद्या/प्रक्रिया	स्वीकृत किये जाने वाला भार (वि०वा०/हॉ०पा०)	एप्लिकेशन नं०	दिनांक
1/1484	कृष्ण पुत्र नाथूराम	कुठौदा बुर्जुग	जालौन	LMV-5	10 HP	1008103131	08.06.2021
2/1485	अमय प्रताप सिंह अजय कुमार सिंह	हथेरी	जालौन	LMV-5	10 HP	1008103237	08.06.2021
3/1486	गोविन्द नारायण पुत्र अयोध्या प्रसाद	रिनियां	हदरुख	LMV-5	10 HP	1008103345	08.06.2021
4/1487	मेवालाल पुत्र ज्वाली	जीपुरा	माघौगढ	LMV-5	10 HP	1008103593	08.06.2021
5/1488	सुखवीर पुत्र रघुनाथ	जकसिया	बबीना	LMV-5	10 HP	1008103620	08.06.2021
6/1489	राम शर्मा पुत्र गंगा प्रसाद शर्मा	गिधौसा	जालौन	LMV-5	10 HP	1008103637	08.06.2021
7/1490	राजेन्द्री देवी पत्नी रामपाल सिंह	मिटारी	सिरसाकलार	LMV-5	10 HP	1008103770	08.06.2021
8/1491	आनन्द कुमार पुत्र बाबूराम	अलईपुरा	खकसीस	LMV-5	10 HP	1008103772	08.06.2021
9/1492	मुन्नालाल पुत्र भोले	हमीरपुरा	जगमनपुर	LMV-5	10 HP	1008103780	08.06.2021
10/1493	बृजभान सिंह पुत्र महताप सिंह	बुढावली	रेढर	LMV-5	10 HP	1008103806	08.06.2021
11/1494	शिवकुमार दत्तक पुत्र गोविंद	हरकौती	जालौन	LMV-5	10 HP	1008103859	09.06.2021
12/1495	रमाकान्त पुत्र रामरवरूप	कुसेपुरा	माघौगढ	LMV-5	10 HP	1008103864	09.06.2021
13/1496	चन्द्रकान्ती पत्नी बृजमोहन	बबीना	बबीना	LMV-5	10 HP	1008103925	09.06.2021

निम्न आवेदन आवेदकों द्वारा U.P.P.C.L के ऑनलाइन पोर्टल पर किय गये है।

(उमाशंकर)
अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपखण्ड अधिकारी/के सम्बन्धित अवर अभियन्ता को इस आशय के साथ प्रेषित है कि विद्युत उपकेन्द्र की लोड क्षमता का निरीक्षण करके प्राक्कलन भेजना सुनिश्चित करें। ओवरलोड विद्युत उपकेन्द्र बाबई, एवं परीसा से सम्बन्धित आवेदनों पर नये आदेश तक प्राक्कलनों पर विचार न करें।
2. खण्डीय लेखाकार (कार्य एवं राजस्व) विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, उरई।
3. सम्बन्धित उपभोक्ता।
4. कट फाईल।

(उमाशंकर)
अधिशासी अभियन्ता